अतिमहत्वपूर्ण

UD2-11/A/91/2022-IV-2-Urban Development Department

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड।

I/341241

संख्या: 341241 /IV(2)–श0वि0–2025–14(सा0)23 (38166)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

आज प्राप्त
दिनांक 4/11/2025
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

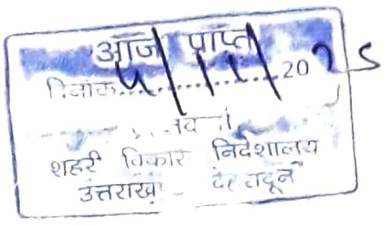

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक–30 अक्टूबर, 2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत शहरी विकास विभाग की विविध योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विभिन्न अवस्थापना परियोजनाओं Funding for Faster Implementation of Important Projects including Missing Link Projects कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावों के चयन के सम्बन्ध में दिनांक 16.09.2025 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में शहरी विकास विभाग की 03 विविध योजनाओं पर सहमति प्रदान की गयी है।

2– अतः उपरोक्त के क्रम में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1062/12/श0वि0नि0(मिसिंग लिंक)/2022, दिनांक 11.07.2025 तथा पत्रांक–2141/24/श0 वि0नि0 (मिसिंग लिंक) 2022, दिनांक 06.08.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट'** के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु **कुल रू0 401.89 लाख (रूपये चार करोड़ एक लाख उनब्बे हजार मात्र)** की प्रशासिनक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम–4 पर अंकित धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

¼/kujkf'k :0 yk[k esa½

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत	स्वीकृत धनराशि
1.	नगरपालिका परिषद, बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सरयू नदी पर स्थित 113 वर्ष पुराने 51 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का जीर्णोद्धार।	180.63	108.37800 (60%)
2.	External Electric Connection for low income group housing Society of Nagar Nigam at Kathbangla. (Dehradun)	25.42	25.42000 (100%)
2.	Estimate for laying water supply pipeline for newly constructed Society of Nagar Nigam at Kathbangla, Part-2. (Dehradun)	195.84	117.50400 (60%)
	योग–	**401.89**	**251.30200**

3– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु कार्यदायी संस्था एवं नगर निकाय स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

AAO/mt

लेखा
कृ0 नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
AAO
06/11/25

(3) एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में शा0सं0–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008, शा0सं0–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 तथा शा0सं0–426/XXVII(7)/2013, दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(6) यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(7) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(9) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण नगर निकाय के उच्चाधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।

(10) निर्माण समग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(11) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(12) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(13) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी और निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(15) आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनाओं के समस्त डिजाईजन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये।

(16) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व मृदा परीक्षण/भूवैज्ञानिक तथ्यों का संज्ञान ले लिया जाय।

(17) वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के संख्याः I/287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

(19) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही योजनाओ को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जायेगा, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

(20) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में नियमानुसार अवधि हेतु Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(21) आगणन मे सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(22) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(23) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारीगण एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(24) प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I-67149, दिनांक 29.09.2022 के क्रम में निर्गत की जा रही है। प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भौतिक/वित्तीय प्रगति के साथ द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–07, लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–17–महत्वपूर्ण स्थापना कार्य–00–53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग (अनु0–1) के अशासकीय संख्याः 341025, दिनांक 30.10.2025 में प्राप्त सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 संख्याः S25100070023 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 30-10-2025
16:16:19

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर ।
6. अधिशासी अभियंता (उत्तर), उत्तराखण्ड जल संस्थान, राजपुर रोड़, देहरादून।
7. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बागेश्वर।
9. गार्ड फाईल ।

प्रदीप कुमार शुक्ल
उप सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S25100070023
आवंटन पत्र दिनांक-28-OCT-2025

लेखा शीर्षक

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
800-अन्य भवन
00--

80-सामान्य
17-महत्वपूर्ण स्थापना कार्य (Missing Link)
Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	1	7	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	5994000	25130200	0	31124200
योग	5994000	25130200	0	31124200

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,51,30,200 (Rupees Two Crores Fifty One Lacs Thirty Thousand Two Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 30-10-2025
10:13:44

File No. UD2-II/A/91/2022-IV-2-Urban Development Department (Computer No. 38166)
about:blank
Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA JOSHI, SO-Urban Development section 2-BCJ, SECTION OFFICER, Urban Development Department on 30/10/2025 04:41 pm